भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1597
दिनांक 13 फरवरी, 2025
पेट्रोलियम उत्पादों के माध्यम से लगाया जाने वाला उपकर

†1597. श्री राव राजेन्द्र सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के माध्यम से लगाए गए उपकर की राशि के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार के पास उक्त उपकर के उपयोग का कोई ब्यौरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विकास के लिए राज्यों को अंतरित की गई पेट्रोलियम अवसंरचना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): पेट्रोल, डीजल, एलपीजी पर लगाए गए कर के ब्यौरे निम्नवत हैः

पेट्रोल और डीजल:

वर्त्तमान में, 19.90 रुपए प्रति लीटर तथा 15.80 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क क्रमशः पेट्रोल और डीजल पर लगाया गया है। केंद्र सरकार पेट्रोल/डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क/उपकर लगाती है, जबकि राज्य सरकारें मूल्य वर्धित कर (वैट) लगाती हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए वैट के ब्यौरे **अनुलग्नक-I** में दिए गए है।

एलपीजीः एलपीजी पर लागू सीमा शुल्क और जीएसटी की दरें इस प्रकार हैं:

विवरण		जीएसटी	सीमा शुल्क
एलपीजी	घरेलू *	5%	शून्य
	गैर- घरेलू	18%	5%

*पीएसयू ओएमसीज द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली घरेलू एलपीजी के आयात पर मूल सीमा शुल्क शून्य है। घरेलू एलपीजी के अन्य आयातकों के लिए मूल सीमा शुल्क दर 5% है।
स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

वर्ष 2023-24 से राजकोष में पेट्रोलियम क्षेत्र से योगदान के ब्यौरे **अनुलग्नक-II** में दिए गए हैं।

(ख): कराधान से उत्पन्न राजस्व का उपयोग सरकार की विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और विकासात्मक योजनाओं जैसे पीएमयूवाई परिवारों को निर्धारित राजसहायता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई), आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), कोविड-19 के लिए मुफ्त टीकाकरण आदि में किया जाता है।

****

अनुलग्नक- I

"पेट्रोलियम उत्पादों के माध्यम से लगाया जाने वाला उपकर" के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को श्री राव राजेंद्र सिंह द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1597 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 07.02.2025 की स्थिति के अनुसार, पेट्रोल और डीजल पर वैट/बिक्री कर के ब्यौरे

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पेट्रोल	डीजल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1%	1%
आंध्र प्रदेश	31% वैट + 4 रु. /लीटर वैट + 1 रु./लीटर सड़क विकास उप कर और उस पर वैट	22.25% वैट+ 4 रु./लीटर वैट + 1 रु./लीटर सड़क विकास उप कर और उस पर वैट
अरुणाचल प्रदेश	14.50%	7.00%
असम	24.77% या 18.80 रु.प्रति लीटर जो भी अधिक हो	22.19% या 14.60 रु. प्रति लीटर जो भी अधिक हो 14.60 रु. प्रति लीटर न्यूनतम के कर के अधीन 1.50 रु.प्रति लीटर की छूट
बिहार	23.58% या 16.65 रु./लीटर जो भी अधिक हो (अप्रतिलभ्य कर के रूप में वैट पर 30% अधिभार)	16.37% या 12.33 रु./लीटर जो भी अधिक हो (अप्रतिलभ्य कर के रूप में वैट पर 30% अधिभार)
चंडीगढ़	10 रु./केएल उप कर+15.24% या 12.42 रु./लीटर जो भी अधिक हो	10 रु./केएल उप कर+6.66% या 5.07 रु. /लीटर जो भी अधिक हो
छत्तीसगढ़	24% वैट + 2 रु./ लीटर वैट	23% वैट + 1 रु./लीटर वैट
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	12.75% वैट	13.50% वैट
दिल्ली	19.40% वैट	रु 250/ केएल एयर एंबियंस शुल्क + 16.75% वैट
गोवा	21.5% वैट + 0.5% ग्रीन उप कर	17.5% वैट + 0.5% ग्रीन उप कर
गुजरात	13.7% वैट + टाउन रेट पर 4% उप कर और वैट	14.9% वैट + टाउन रेट पर 4% उप कर और वैट
हरियाणा	18.20% या 14.50 रु. / लीटर जो भी वैट के रूप में अधिक है + वैट पर 5% अतिरिक्त कर	16.00% वैट या 11.86 रु. / लीटर जो भी वैट के रूप में अधिक है + वैट पर 5% अतिरिक्त कर
हिमाचल प्रदेश	17.5% या 13.50रु. / लीटर - जो भी अधिक हो	13.90% या 10.40 रु. /लीटर - जो भी अधिक हो
जम्मू और कश्मीर	24% एमएसटी + 2 रु. / लीटर रोजगार उप कर, 4.50 रु. / लीटर की छूट	16% एमएसटी + 1.00 रु./लीटर रोजगार उप कर, 6.50 रु. /लीटर की छूट
झारखंड	बिक्री मूल्य पर 22% या 17.00 रु. प्रति लीटर, जो भी अधिक है + 1.00 रुपये प्रति लीटर उप कर	बिक्री मूल्य पर 22% या 12.50 रु. प्रति लीटर, जो भी अधिक है + 1.00 रुपये प्रति लीटर उप कर
कर्नाटक	29.84% बिक्री कर	18.44% बिक्री कर
केरल	30.08% बिक्री कर + 1 रु. / लीटर अतिरिक्त बिक्री कर + 1% उप कर, सामाजिक सुरक्षा उप-कर 2 रु. प्रति लीटर	22.76% बिक्री कर + 1रु./ लीटर अतिरिक्त बिक्री कर + 1% उप कर सामाजिक सुरक्षा उप-कर 2 रु प्रति लीटर
लद्दाख	15%एमएसटी+ 5 रु./लीटर रोजगार उप कर, 2.5 रु./लीटर की कमी	6% एमएसटी+ 1 रु./लीटर रोजगार उप कर, 0.50 रु. /लीटर की कमी

लक्षद्वीप	10% वैट	10% वैट
मध्य प्रदेश	29% वैट + 2.5 रु./ लीटर वैट + 1% उप कर	19% वैट + 1.5 रु./ लीटर वैट + 1% उप कर
महाराष्ट्र- मुम्बई, थाणे एंड नवी मुम्बई	25% वैट + 5.12 रु. / लीटर अतिरिक्त कर	21% वैट
महाराष्ट्र (अन्य राज्य के अलावा)	25% वैट + 5.12 रु. / लीटर अतिरिक्त कर	21% वैट
मणिपुर	25% वैट	13.5% वैट
मेघालय	13.50% या 13.50 रु./लीटर- जो भी अधिक हो (0.10 रु./लीटर प्रदूषण अधिभार)	5% या 9.50 रु. /लीटर - जो भी अधिक हो (0.10 रु. /लीटर प्रदुषण अधिभार)
मिजोरम	18% सामाजिक बुनियादी ढांचा और 2000 रु./केएल सेवा उपकर, 2000 रु./केएल, सड़क रखरखाव उपकर	10% सामाजिक बुनियादी ढांचा और 2000 रु./केएल सेवा उप कर, 2000 रु./केएल, सड़क रखरखाव उप कर
नगालैंड	21.75% वैट या 16.94 रु. / लीटर – जो भी अधिक हो	17.20% वैट या 12.83 रु. / लीटर – जो भी अधिक हो
ओडिशा	28% वैट	24% वैट
पुडुचेरी	16.98% वैट	11.22% वैट
पंजाब	2050 रु./केएल (उप कर) + 0.10 रु.प्रति लीटर (शहरी परिवहन निधि)+0.25 प्रति लीटर (विशेष अवसंरचना विकास शुल्क)+16.58% वैट + 10% अतिरिक्त कर या 14.93 रु. /लीटर, जो भी अधिक हो	1050 रु./केएल (उप कर) + 0.10 रु.प्रति लीटर (शहरी परिवहन निधि)+0.25 प्रति लीटर (विशेष अवसंरचना विकास शुल्क)+13.1% वैट + 10% अतिरिक्त कर या 10.94 रु. /लीटर, जो भी अधिक हो
राजस्थान	29.04 % वैट + 1500 रु./ केएल सड़क विकास उप कर	17.30 % वैट + 1750 रु. / केएल सड़क विकास उप कर
सिक्किम	20% वैट + 4000 रु./ केएल उप कर	10% वैट + 3500 रु./ केएल उप कर
तमिलनाडु	13% + 11.52 रु.प्रति लीटर	11% + 9.62 रु.प्रति लीटर
तेलंगाना	35.20% वैट	27% वैट
त्रिपुरा	17.50% वैट + 3% त्रिपुरा सड़क विकास उप कर	10.00% वैट + 3% त्रिपुरा सड़क विकास उप कर
उत्तर प्रदेश	19.36% या 14.85 रु./ लीटर जो भी अधिक हो	17.08% या 10.41 रु./ लीटर जो भी अधिक हो
उत्तराखंड	16.97% या 13.14 रु. प्रति लीटर जो भी अधिक हो	17.15% या 10.41 रु. प्रति लीटर जो भी अधिक हो
पश्चिम बंगाल	25% या 13.12 रु./ लीटर जो भी बिक्री कर के रूप में अधिक हो + 1000 रु./ केएल उप कर (अप्रतिलभ्य कर के रूप में वैट पर 20% अतिरिक्त कर)	17% या 7.70 रु./ लीटर जो भी बिक्री कर के रूप में अधिक हो + 1000 रु./ केएल उप कर (अप्रतिलभ्य कर के रूप में वैट पर 20% अतिरिक्त कर)

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

***

अनुलग्नक- II

"पेट्रोलियम उत्पादों के माध्यम से लगाया जाने वाला उपकर" के.संबंध में दिनांक 13.02.2025 को श्री राव राजेंद्र सिंह द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1597 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राजकोष में पेट्रोलियम क्षेत्र का योगदान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2023-24	2024-25 (अप्रै.-सि.) (अं.)
केन्द्रीय राजकोष के लिए योगदान		
क. कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर कर/शुल्क		
कच्चे तेल पर उपकर	19,580	7,769
कच्चे तेल/प्राकृतिक गैस पर रॉयल्टी	9,286	4,675
सीमा शुल्क	13,134	6,696
कच्चे तेल पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी)	1,191	578
उत्पाद शुल्क	2,73,684	1,22,507
सेवा कर	-	-
आईजीएसटी	20,930	10,364
सीजीएसटी	12,230	5,523
अन्य	51	23
उप योग (क)	3,50,086	1,58,135
ख. सरकार को लाभांश/आयकर आदि		
कॉर्पोरेट/आयकर	57,493	19,053
केंद्र सरकार को लाभांश आय	19,310	4,294
लाभांश वितरण कर	-	-
तेल/गैस के अन्वेषण संबंधी पेट्रोलियम लाभ	5,505	1,837
उप योग (ख)	82,308	25,184
1. केंद्रीय राजकोष में कुल योगदान (क+ख)	4,32,394	1,83,319
2. राज्य राजकोष में कुल योगदान	3,18,762	1,55,866
राजकोष में पेट्रोलियम क्षेत्र का कुल योगदान (1+2)	**7,51,156**	**3,39,185**

उपरोक्त 15 प्रमुख तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है। कंपनियों द्वारा पीपीएसी को बताई गई धनराशि कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए सभी करों/उपकर/शुल्कों/जीएसटी आदि की समेकित धनराशि है। (अं.) – अनंतिम

***